बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

::संकल्प::

संकल्प सं0–3/सी0 एस0/एम0–703/2011............................/दिनांक–......................

विषय :– **बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों आदि के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभाव जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा अनुमान्य है, को देय सुविधाओं के सम्बन्ध में।**

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत गठित आयोग/बोर्ड/निगम/पर्षद/समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं अन्य महानुभावों को, मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधाएं अनुमान्य की जाती हैं। ऐसे महानुभावों को देय सुविधा का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प सं0–502, दिनांक–08.03.2007 एवं संकल्प संख्या–298, दिनांक–27.04.2012 द्वारा किया गया है।

2. उक्त संकल्प के अनुसार ऐसे महानुभावों को निःशुल्क एवं सुसज्जित आवास उपलब्ध कराया जाना है एवं सरकारी आवास का उपभोग नहीं करने की स्थिति में वेतन, आतिथ्य भत्ता एवं दैनिक भत्ता मद में देय कुल राशि का 20 प्रतिशत प्रति माह आवास भत्ते के रूप में निर्धारित किया गया है; लेकिन विद्युत विपत्र के भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री की सुविधा प्राप्त महानुभावों को पूर्व में निर्गत संकल्प सं0–502, दिनांक–08.03.2007 एवं 298, दिनांक–27.04.2012 में विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु राशि अनुमान्य नहीं रहने के कारण उपर्युक्त महानभावों को निम्न प्रकार विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है :–

क्र०सं०	कोटि		प्रति माह विद्युत विपत्र में भुगतान हेतु देय अधिकतम राशि
1.	मंत्री	–	5,000 रू0 (पाँच हजार रू0)
2.	राज्य मंत्री	–	4,000 रू0 (चार हजार रू0)
3.	उप मंत्री	–	3,000 रू0 (तीन हजार रू0)

उपरोक्त अधिकतम निर्धारित राशि के अन्दर कम राशि का विद्युत विपत्र होने पर वास्तविक विद्युत विपत्र की राशि देय होगी।

4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या–502, दिनांक–08.03.2007 एवं 298, दिनांक 27.04.2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। उक्त संकल्प के शेष अंश यथावत रहेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय साथ ही सरकार के सभी विभागों को इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\sanlekh.doc

ज्ञापांक– 3/सी०एस०/एम०–703/2011–...................... पटना–15, दिनांक 2013

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3/सी०एस०/एम०–703/2011–...................... पटना–15, दिनांक 2013

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के आप्त सचिव/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3/सी०एस०/एम०–703/2011–...................... पटना–15, दिनांक 2013

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 3/सी०एस०/एम०–703/2011–.......410 पटना–15, दिनांक 2.9. 2013

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिमंडल के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02/9/13
(प्रभाकर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव